संख्या:-5722/III(2)/22-01(बजट)/2022

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 22 दिसम्बर, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक/प्रथम अनुपूरक अनुदानों में लोक निर्माण विभाग हेतु पूँजीगत पक्ष की अनुदान संख्या- 22, 30 व 31 में विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1853/III(2)/22-1(बजट)/2022 दिनांक 02 मई, 2022, शासनादेश संख्या- I/55941/2022 दिनांक 16 अगस्त, 2022, शासनादेश संख्या- I/66459/2022 दिनांक 29 सितम्बर, 2022, शासनादेश संख्या- I/75675/2022 दिनांक 11 नवम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या- I/84443/2022 दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान सं0-22, 30 एवं 31 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष में संलग्न विवरणानुसार प्राविधानित कुल धनराशि ₹ 77900.00 लाख के सापेक्ष ₹55980.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(2) आपके पत्रांक-3807, 3808, 3810, 3811 एवं 3812 दिनांक 21.12.2022 द्वारा उक्त योजनाओं में संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत पूँजीगत पक्ष में आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उल्लिखित योजना में शासन स्तर पर अवशेष धनराशि ₹21920.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के शासनादेश संख्या.391/9(150)2019/ XXVII(1))/2022 दिनांक 24 जून, 2022 एवं शासनादेश संख्या- I/82469/2022 दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 के अन्तर्गत, ₹ 145,66.67 लाख (रूपये एक सौ पैंतालीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तों के अधीन, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष सी0सी0एल आवंटन, खण्डवार स्वीकृत कार्यों की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति तथा कार्य की तात्कालिक आवश्यकता, के आधार पर की जायेगी तथा इसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जायेगी।

(ii)- उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण, वितरण अधिकारी द्वारा बी0एम0-4 प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-12 के प्रस्तर-101 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-113 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि.वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर-115 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(iii)- पूंजीगत पक्ष की संलग्न योजनाओं की सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी.सी.एल. निर्गत करेंगे।

(iv)- सर्वप्रथम उन निर्माणाधीन कार्यों का पूर्ण किया जाय, जिसमें 75 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात् 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों को वरीयता दी जाये।

(v)– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग–I के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

(vi)– इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-391/9(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(vii)– उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के अधीन ही समस्त प्रक्रियायें पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

(viii)– साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बजट मैनुअल के प्रस्तर–10 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(x)– इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। वित्त अनुभाग–1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में शासन स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार पूँजीगत पक्ष के सुसंगत उप मानक मदों में धनराशि **₹ 145,66.67** लाख **(रूपये एक सौ पैंतालीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** का बजट आवंटन लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, 30 व 31 में आपको आवंटित कोड सं0–4227 में कर दिया गया है। अतः तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(2)– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान सं.–22, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

(3)– **यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 391/9(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 एवं शासनादेश संख्या- I/82469/2022 दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्थान्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

संख्याः- /III(2)/22-01(बजट)/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रेजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

शा0 सं0–5722/।।।(2)/22–01(बजट)/2022 दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 का संलग्नक–1

अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	मद/योजना का नाम /उपमद	वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में कुल बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	3	4
1	5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04– जिला तथा अन्य सड़कें 337– सडक निर्माण कार्य 03– राज्य सेक्टर 03 01– चालू निर्माण कार्य 53– वृहद निर्माण कार्य	65000.00	**50000.00**	**10000.00**
2	5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य मार्ग 101–पुल 03–पुलों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण 53– वृहद निर्माण कार्य	1500.00	**680.00**	**500.00**
3	5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04– जिला तथा अन्य सड़कें 337–सडक निर्माण कार्य 05–बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण 53– वृहद निर्माण कार्य	2350.00	**783.33**	**1566.67**
	योग:–	**68850.00**	**51463.33**	**12066.67**

(₹ एक सौ बीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक–1078 /20 याता0'क'/2022

दिनांक-28 .12.2022

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सहायक लेखाधिकारी बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

28/XII/22

शा0 सं0– 5722/ III(2)/22–01(बजट)/2022 दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 का संलग्नक–2

अनुदान सं0–30 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	मद/योजना का नाम /उपमद	वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में कुल बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	5054–सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04– जिला तथा अन्य सड़कें 337– सड़क निर्माण कार्य 02– अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 02 01– चालू निर्माण कार्य 53– वृहद निर्माण कार्य	4550.00	1516.67	**2000.00**

(₹ बीस करोड़ मात्र)

अनुदान सं0–31 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	मद/योजना का नाम/उपमद	वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में कुल बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	5054–सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04–जिला तथा अन्य सड़कें 337–सड़क निर्माण कार्य 03–चालू निर्माण कार्य 53–वृहद निर्माण कार्य	4500.00	3000.00	**500.00**

(₹ पाँच करोड़ मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -5722/III(2)/22-1(Budget)/2022
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S22120220021
आवंटन पत्र दिनांक-22-DEC-2022

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	03-राज्य सेक्टर
	01-चालू निर्माण कार्य (5054-04-800-03-01 से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	5000000000	1000000000	0	6000000000
योग	5000000000	1000000000	0	6000000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,00,00,00,000 (Rupees One Hundred Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(वीरेन्द्र सिंह पंवार)
अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण अनुभाग-2
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

IFMS Uttarakhand

आवंटन पत्र संख्या -5722/III(2)/22-1(Budget)/2022
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S22120220022
आवंटन पत्र दिनांक-22-DEC-2022

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	03-राज्य मार्ग
	101-पुल	03-पुलों का निर्माण एवं सुद्दढ़ीकरण
	00-पुलों का निर्माण एवं सुद्दढ़ीकरण	Voted

5	0	5	4	0	3	1	0	1	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	68000000	50000000	0	118000000
योग	68000000	50000000	0	118000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.5,00,00,000 (Rupees Five Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(वीरेन्द्र सिंह पंवार)
अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण अनुभाग-2
उत्तराखण्ड शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

IFMS Uttarakhand

आवंटन पत्र संख्या -5722/III(2)/22-1(Budget)/2022
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S22120220023
आवंटन पत्र दिनांक-22-DEC-2022

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	05-बाढ़ व भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निमाण
	00-0	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	5	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	78333000	156667000	0	235000000
योग	78333000	156667000	0	235000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.15,66,67,000 (Rupees Fifteen Crores Sixty Six Lacs Sixty Seven Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(...रेन्द्र सिंह पंवार)
अनुभाग अधिकारी
...निर्माण अनुभाग-2
...शासन

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -5722/III(2)/22-1(Budget)/2022
अनुदान संख्या -030

आवंटन आई डी-S22120300036
आवंटन पत्र दिनांक-22-DEC-2022

लेखा शीर्षक	5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	04-जिला तथा अन्य सड़के
	337-सडक निर्माण कार्य	02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
	01-चालू निर्माण कार्य (5054-04-800-02-01 से स्थानान्तरित)	Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	2	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	151667000	200000000	0	351667000
योग	151667000	200000000	0	351667000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,00,00,000 (Rupees Twenty Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

22.XII.22
(वीरेन्द्र सिंह पंवार)
अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण अनुभाग-2
उत्तराखण्ड शासन

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -5722/III(2)/22-1(Budget)/2022
अनुदान संख्या -031

आवंटन आई डी-S22120310039
आवंटन पत्र दिनांक-22-DEC-2022

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
337-सडक निर्माण कार्य
00-0

04-जिला तथा अन्य सड़के
03-चालू निर्माण कार्य

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	300000000	50000000	0	350000000
योग	300000000	50000000	0	350000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.5,00,00,000 (Rupees Five Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(वीरेन्द्र सिंह पंवार)
अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण अनुभाग–2
उत्तराखण्ड शासन